अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

संतोक वनाम श्रीमती कमला (बैरवा)

मुकदमा प्रा-पत्र 251-A नं० 83 सन् 2021

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
..21	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को ~~सम्मन~~ रजिस्ट्री से नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 8.11.21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
8/11/21	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है अतः पत्रावली दिनांक 11.11.21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
11/11/21	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थिया उपस्थित, अप्रार्थीगण 01 लगायत 05 के सम्मन दिनांक 26.10.21 को रजि० एडी. से करवाये गये। एक माह बीत जाने पूर्व भी अप्रार्थीगण उपस्थित नही। अप्रार्थीगण को कितनी मर्तबा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नही, उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है, तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थिया ने बहस करनी चाही। वकील प्रार्थिया की बहस सुनी गयी। वास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक 23.11.21 को पेश हो।	
23/11/21.	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थिया उपस्थित। वकील प्रार्थिया ने बहस के दौरान अपनी खातेदारी आराजी नं० 693 रकबा 0.1391 हैक्टेयर भूमि मे आने जाने हेतु रास्ता अप्रार्थीगण 01 लगायत 05 की आराजी नं० 689 मे से 20 फीट चौड़ाई	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:28:24 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी
	का रास्ता कायम किये जाने की इस्तदुआ की। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील प्रार्थिया की बहस पर मनन किया व तहसीलदार माण्डल की प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन किया, जिससे जाहिर आया कि प्रार्थिया की आराजी मे आवागमन हेतु कोई रेकार्डेड रास्ता विद्यमान नही है। एवं वर्तमान मे अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है, प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा० का० अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है, अत: :: आदेश :: प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा० का० अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थिया की आराजी ग्राम भावलास पटवार हल्का भावलास तहसील मांडल मे स्थित आराजी नं० 693 रकबा 0.1391 हैक्टेयर भूमि पर आने-जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही है एवं मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। उपरोक्त भूमि मे आने-जाने हेतु अप्रार्थीगण 01 लगायत 05 की आराजी नं० 689 रकबा 0.1012 हैक्टेयर भूमि मे से 10 फीट चौड़ाई का रास्ता दिये जाने का आदेश दिया जाता है. 10 फीट चौड़ाई के रास्ते मे काम मे आने वाली भूमि की D.L.C. दर की डबल राशि नकद या D.D. प्रार्थिया से प्राप्त कर अप्रार्थीगण 01 लगायत 05 को भुगतान करे। अप्रार्थीगण की भूमि रास्ते मे आने वाली भूमि को राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करते हुए नक्शे मे तरमीम की जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को [illegible] जावे। तहसीलदार माण्डल राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। Signature Not Verified Digitally signed by Pooja Saxena Date: 2022.01.06 13:28:24 IST Reason: SelfAttested डॉ. पूजा सक्सेना उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021	